[illegible]

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

106/2018/22 RTA — सूरजकरण V/s बिहारीलाल

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

तारीख 2018/00101

पेशी श्री B.L. शर्मा श्री

27.11.25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उप.। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी सं. 4975/2018 में पारित आदेश दिनांक 16.10.25 की प्रमाणित प्रति मय न्यायालय हाजा की मिसल सं. 106/2018 प्राप्त हुई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा मूल वाद अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज किये जाने से विचाराधीन निगरानी सारहीन होने से खारिज की गई है। चूंकि उक्त अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधि. के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 228 राज० काश्तकारी अधि. के तहत पेश की गई है और कि मूल वाद के निस्तारण हो जाने से सारहीन हो चुकी है अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो।
	राजस्व अपील प्राधिकारी [illegible]

(5)

2018/60/06

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर कैम्प कोर्ट दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व अपील संख्या ...106... /18

1. सुरजकरण पुत्र श्योदान, जाति गुर्जर, निवासी चान्दरमूल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. रामकरण
3. श्योनारायण
4. जयनारायण
5. बिरदाराम

(2 से 5) पुत्रान कल्याण, जातियान गुर्जर, निवासीगण चांदरमूल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

6. देवीलाल पुत्र भागीरथ
7. भैरू पुत्र भूरा
8. गोपाल पुत्र बन्नेराम
9. अखैराम पुत्र बन्नेराम
10. फूंला पत्नी भूरा

(6 से 10) समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम चांदरमूल, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

-- अपीलार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र रामदेव
2. राजेन्द्र पुत्र जगदीश
3. बनवारी पुत्र जगदीश

(1 से 3) जाति जाट, निवासीगण महेशपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।

4. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा दूदू जिला जयपुर।
5. मैनेजर मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा दूदू जिला जयपुर।
6. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- रेस्पोडेन्ट्स

2

Scanned with CamScanner

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्ध आदेश माननीय सहायक कलक्टर, दूदू जिला जयपुर

दिनांक 22/09/2015, प्रार्थना-पत्र संख्या 96/2015

उनवानी किशनलाल बनाम सुरजकरण

श्रीमानजी,

अपीलार्थीगण की ओर से अपील निम्न तथ्यों के साथ प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने एक वाद व प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण आराजी खतौनी संख्या 119 के आराजी खसरा नम्बर 218 लगायत 226, 229, 230, 431 कुल किता 12 कुल रकबा 4.36 हैक्टेयर वाके ग्राम चान्दरमूल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, के खातेदार काश्तकार है व लगान सरकारी अदा करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 218 की मेड जिसका जमाबन्दी में रकबा 0.01 हैक्टेयर बारानी दर्ज कर रखा है, जबकि नक्शा ट्रेस में उक्त मेड का जो *रकबा है, वह अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खसरा नम्बर 217 रकबा 0.16* हैक्टेयर में दर्ज चला आ रहा हैं जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै.मु. चाह के रूप में नक्शा ट्रेस में दर्ज है, गै.मु. चाह का रकबा गलत दर्ज कर रखा है, जो राजस्व कारकुनानों की गलती से दर्ज हुआ हैं। पर्चा सैटलमेन्ट द्वारा वरवक्त सम्वत 2011 में बन्दोबस्त करते समय बन्दोबस्त के कारकुनानों द्वारा पर्चा जारी करने से पूर्व नक्शा ट्रेस मौके पर आराजी अनुसार किया जाकर उसके पश्चात राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया था। यही पर राजस्व कारकुनानों द्वारा दर्ज करते समय मुताबिक नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बर 218 का रकबा 0.01 हैक्टेयर गलत दर्ज कर दिया जहां पर 0.16 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिये था, जो खसरा नम्बर 217 में

Scanned with CamScanner